अधिगम
अंक 21 : दिसम्बर 2021
ISSN : 2394-773X

अन्तरानुशासनिक विषयों का लोकतांत्रिक मूल्य आधारित शैक्षिक विमर्श

डॉ० रमाकान्त*

डॉ० चन्द्रकान्ता जैन**

Lkkjka'k

समाज विज्ञान का शिक्षण बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समझ और मानसिक ऊर्जा प्रदान करने हेतु आवश्यक है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन कर सकें और अपनी विशिष्टता खोये बिना उन असामाजिक शक्तियों का सामना कर सकें, जिनसे इन मूल्यों को खतरा है। संविधान में भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने की कल्पना की गयी है।

जिसमें समस्त नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात की गयी है। साथ ही संविधान किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। प्रस्तुत शोधपत्र अन्तरानुशासनिक विषयों का लोकतांत्रिक मूल्य आधारित शैक्षिक विमर्श पर केन्द्रित है। अध्ययन द्वितीय ऑकडों के आधार पर व्याख्यात्मक शैली में है।

dqath 'kCn % f'k{kk] vUrjkuq'kklfud fo"k;] lekt foKku vkSj yksdrkaf=d ewY;

ÁLrkouk

शिक्षा सामाजिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण आधार है। शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार को परिमार्जित करती है। इसके द्वारा ही व्यक्ति को परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सकता है। जॉन डीवी के अनुसार, ''शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियन्त्रण रखने वाली सम्भावनाओं को पूर्ण करने

* सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, डाक्टर हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश
**सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, डाक्टर हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश

की समर्थता प्रदान करे।[1]'' जिसमें समाज विज्ञान अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। समाज विज्ञान, मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विद्या है।[2] यह समाज के विविध सरोकारों को अपने अंदर समाद्रित करता है, इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र आदि विषयों की विस्तृत अध्ययन सामग्रियाँ सम्मिलित होती हैं।[3] समाज की प्रकृति, क्षेत्र और कार्य–प्रणाली को एक व्यक्ति के जीवन–निर्वाह के लिए समझना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए समाज विज्ञान शिक्षण–अधिगम के लिए अति आवश्यक है। समाज विज्ञान का महत्त्व न केवल तेजी से विकसित होते हुए सेवा क्षेत्र के रोजगारों में, इसकी बढ़ती प्रासंगिकता के कारण है, बल्कि एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मस्तिष्क की नींव तैयार करने में इसकी अनिवार्यता के कारण भी है।

प्रायः यह माना जाता है कि सिर्फ प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान द्वारा ही तत्त्वों का वैज्ञानिक परीक्षण संभव है तथा समाज विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। परंतु यह पहचानना आवश्यक है कि प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान की तरह समाज विज्ञान भी वैज्ञानिक जाँच–पड़ताल हेतु उपयुक्त है।[4] साथ ही समाज विज्ञान व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सहयोग और सहिष्णुता जैसे– लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक जनाधार का निर्माण करने और उसका विस्तार करने की नियामक जिम्मेदारी का वहन करता है।[5] अतः समाज विज्ञान का शिक्षण बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समझ और मानसिक ऊर्जा प्रदान करने हेतु आवश्यक है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन कर सकें और अपनी विशिष्टता खोये बिना उन असामाजिक शक्तियों का सामना कर सकें, जिनसे इन मूल्यों को खतरा है।

lekt foKku f'k{k.k dh vo/kkj.kk

अगर समाज विज्ञान शिक्षण की अवधारणा के विकास को देखें तो यह पाते हैं कि इसका जन्म 1916 ई. में अमेरिका में हुआ, जहाँ स्कूली शिक्षा के पाठ्यचर्या में अन्य पाठ्यसामग्री के साथ–साथ इसकी स्थापना की गई।[6] परिणामस्वरूप इस विषय का महत्त्व इतना बढ़ा कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य बालकों में सामाजिकता की भावना को बढ़ाना हो गया। वहीं भारत में इसका प्रारम्भ बुनियादी शिक्षा के साथ हुआ। महात्मा गाँधी ने शिक्षा को ऐसे माध्यम के रूप में देखा था, जो सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त अन्याय, हिंसा व असमानता के प्रति राष्ट्र की अंतरात्मा को जगा सके।

'नयी तालीम' ने आत्मनिर्भरता व व्यक्ति के आत्म–सम्मान पर जोर दिया था जो ऐसे सामाजिक संबंधों का आधार बने जिनकी खासियत हो समाज के भीतर व बाहर अहिंसा।[7] और माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) एवं शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन, 1964–66)[8] ने बदले हुए सामाजिक–राजनीतिक संदर्भ में राष्ट्रीय विकास पर विशेष बल देते हुए महात्मा गांधी के शिक्षा–दर्शन से उभरे मुख्य बिन्दुओं को विस्तार दिया।

वर्ष 1976 में संविधान संशोधन करके समाजवादी पंथनिरपेक्षता और राष्ट्र की एकता और अखण्डता एवं मूल कर्त्तव्य जैसे संवैधानिक मूल्यों को जोड़ा गया। इसके साथ शिक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण विषय को समवर्ती सूची का हिस्सा बनाया गया।[9] इससे राज्य सरकारों के साथ केन्द्र सरकार को भी स्कूली शिक्षा सम्बन्धी सभी निर्णय लेने का अधिकार मिला। इसी क्रम में वर्ष 1986 में शिक्षा पर देश की एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी।[10] जिसमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। इसी क्रम में वर्ष 1992 में प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट जिसका शीर्षक था 'लर्निंग विदाउट बर्डन (शिक्षा बिना बोझ के) 1992 ने इस पहलू को स्पष्ट किया।[11]

वर्ष 2005 में, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में निम्न बिन्दुओं पर बल दिया है[12] –

- बच्चों के सामने परीक्षा के लिए रटने वाली सामग्रियों पर जोर देने के बजाए अवधारणात्मक समझ पर ध्यान दिए जाने की जरूरत पर जोर देता है। इससे बच्चों में सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र तथा आलोचनात्मक रूप से सोचने का अवसर मिलेगा।
- प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं जैसे – लैंगिक न्याय, मानव अधिकार और हाशिए के समूहों तथा अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित किए जाने के लिए अन्तर–अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है।
- नागरिक शास्त्र को राजनीतिशास्त्र में तब्दील कर दिया जाए तथा इतिहास को बच्चों में अतीत तथा नागरिकता की पहचान की अवधारणा पर प्रभाव डालने वाले विषय के रूप में पहचाना जाए।

बदलते समय की माँग, नीतियों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की पाठ्यचर्या में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जाने लगी

परिणामस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाया गया जिसका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को विकसित करना है कि जिनमें सहानुभूति हो, वे दूसरों का सम्मान करें, साफ–सफाई का महत्त्व समझें, उनमें विनम्रता हो, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रेम हो और सेवा भाव हो।[13] इस प्रकार भारत की नई शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्यों में संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण एक प्रमुख उद्देश्य स्वीकार किया गया है।

eY; dh vo/kkj.kk

मैकमिलन व नैलर का मानना है कि 'मूल्य' पद का अर्थ समाज, विज्ञान या दर्शनशास्त्र में किसी भी तरह से स्पष्ट नहीं है[14] लेकिन अधिकांश दार्शनिक सामान्यतः इस मत के है कि "मूल्य" प्रकृति में दार्शनिक है[15] और वे मूल्य की किसी एक परिभाषा पर एक मत नही हो पाये है। मतैक्य के रूप में तो केवल इतना ही कहा जा सकता है कि मूल्य मानव अस्तित्व में किसी महत्त्वपूर्ण चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। 'मूल्य' के लिए इंग्लिश में (values) शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा में (Valerie) शब्द से मानी जाती है जो किसी वस्तु की कीमत, गुण या उपयोगिता को व्यक्त करता है।[16] मूल्य एक ऐसी आचार संहिता है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर समाज में प्रभावशाली एवं विश्वसनीय बनकर उभरता है।

अतः मूल्य में मानव की धारणाएँ, विचार, विश्वास, मनोवृत्ति एवं आस्था आदि अंतर्निहित होते हैं। मूल्यों की शिक्षा मानव जीवन को मूल्यवान बनाते हैं, उत्कृष्ट बनाते हैं, तथा मानव को मानवीय गरिमा प्रदान करने के साथ–साथ उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति के आधार स्तम्भ बनते हैं। मूल्य चिंतन की दो मुख्य दृष्टियाँ हैं।[17] जिसके अन्तर्गत व्यक्ति के आंतरिक और वाह्य व्यक्तित्व को विकसित और परिष्कृत करने पर अधिक ध्यान दिया जाता इसमें व्यक्ति के चारित्रिक सद्‌गुणों, कर्तव्यों, दायित्वों, नैतिक मर्यादाओं, जीवन दृष्टि आदि की चर्चा होती है। मूल्य शिक्षा की विषय–वस्तु में दोनों दृष्टियों को समुचित स्थान दिया जाना चाहिए। मूल्य शिक्षा कार्यक्रम में हमें मूल्य चिंतन के इन विविध आयामों का तथा संदर्भों का समावेश करना होगा। इसका उद्‌देश्य होगा व्यक्ति की सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और मानवीय चेतना को जागृत करना। मुखर्जी (1964) का मत है कि ''मूल्य वे लक्ष्य और इच्छाएँ होती है जिन्हें अनुबंधन अधिगम या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आभ्यन्तरीकृत किया

जाता है।[18]'' स्पष्ट है कि मूल्य सीखे जा सकते है। सिखाने का कार्य शिक्षक का होता है। आज के छोटे–छोटे बच्चे भविष्य में विशाल भारत के नागरिक होगें।

vUrjkuq’kklfud fo"k;

अंतरानुशासनिकता दो अथवा उससे अधिक विद्यार्जन विषयों/अनुशासनों के मिश्रित अध्ययन क्षेत्र को कहते हैं। यह विषयों की सीमाओं को अतिक्रांत कर उनसे परे सोचते हुए कुछ नया रचने का उपक्रम है। इसमें दो भिन्न अनुशासनों के सिद्धांतों तथ्यों, अवधारणाओं, प्रविधियों, पदों आदि के माध्यम से सामाजिक घटनाओं, परिघटनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिये सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और कई अन्य विद्या शाखाओं का एक अंतर्विषयक क्षेत्र है।

ykdrkf=d eY;ks dh l)kfUrd :ijs[kk

लोकतंत्र, सरकार के रूप में कुछ आदर्शों का वर्णन करता है। भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है।[19] इसके नागरिक इस स्थिति को सरकार के रूप में, लोकतांत्रिक व्यवस्था को न केवल बनाये और समृद्व रखते है, बल्कि अपने दिन–प्रतिदिन के जीवन में लोकतंत्र के नैतिक स्वरूप का व्यवहार में पालन करते है जिसका संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र के कुछ आदर्शों और उद्देश्यों का दिग्दर्शन किया जा सकता है। यह संविधान के किसी भी भाग पर कोई भी विशेष बल नहीं देती है, परन्तु यह संविधान को एक निश्चित प्रकाशित मार्ग की ओर ले जाती है, जिससे भारत के सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अनुभव होता है। इसका निर्माण "भारत" को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए किया गया। साथ ही यह भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाई–चारे को बढावा देती है। संविधान में प्रस्तावना को निम्नलिखित रूपों में रखा गया है –

Pge भारत के लोग, भारत को एक **lEiw.kZ çHkqRolaiUu lektoknh iaFkfujis{k ykdra=kRed x.kjkT;** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को : सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **U;k;]** विचार,अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **Lora=rk]** प्रतिष्ठा और अवसर की **lerk** प्राप्त कराने के लिए तथा, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की **,drk**

और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली **c/kqrk** बढाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी **bl lfo/kku lHkk** में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **,rn}kjk bl lfo/kku dk vxh—r] vf/kfu;fer vkj vkRekfiir djrs gSA[20]ß**

इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों की भूमिका से बनी हुई है। यह प्रस्तावना लोकतंत्र के चार मजबूत स्तम्भों– न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व तथा राष्ट्र की एकता और आखण्डता को बताती है। इसमें बुनियादी आदर्श, उद्‌देश्य और दार्शनिक भारत के भविष्य की अवधारणा को शामिल किया गया है जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था को बहुत प्रभावित करता है।

vr% ykdrkaf=d eY;] भारतीय समाज का वह मौलिक विश्वास और संवैधानिक सिद्धान्त है[21] जिसके द्वारा व्यक्ति को उसके जीवन में व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सहयोग और सहिष्णुता द्वारा वह अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार को करने के लिए अभिप्रेरित होता है।[22] इसे आलोक गार्डिया (2018) ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, लोकतंत्र के सिद्धान्त और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा के आधार पर छः मूल्यों के एक समूह के रूप में लोकतान्त्रिक मूल्यों की अवधारणा की जिसे निम्न प्रकार से बतलाया है– (1) व्यक्ति की गरिमा, (2) स्वतंत्रता, (3) समानता, (4) न्याय, (5) सहयोग, और (6) सहिष्णुता।[23] और उपरोक्त छः मूल्यों के एक समूह के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की व्युत्पत्ति की प्रक्रिया को सारणीबद्ध रूप में संक्षेप में तालिका : 1.1 में प्रस्तुत किया है।

Ø-l-	**/kkj.kk vkj rRo**	**vkn'k**
01	लोकतंत्र का दृष्टिकोण संस्थागत के बजाय व्यक्तिगत है। लोकतंत्र, प्रत्येक व्यक्ति के निहित मूल्य का सम्मान करता	व्यक्ति की गरिमा
02	अभिव्यक्ति, विचार और विश्वास की स्वतंत्रता एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता	स्वतंत्रता
03	जीवन में उत्कृष्टता और संसाधन वितरण में समान अवसर तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता	समानता
04	विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, सार्वभौमिक मताधिकार, सामाजिक, आर्थिक, और	न्याय

	राजनैतिक न्याय	
05.	प्रगति अनिवार्य रूप व्यक्तिगत प्रयास के बजाय से सामूहिक प्रयास से, नागरिकों में बन्धुत्व का विकास करना	सहयोग
06.	व्यक्तिगत विभिन्नता और व्यक्तिगत विकास की संवेदनशीलता के विचार में मतभेदों को स्वीकार करना	सहिष्णुता

इसलिए परिवार, समाज और राष्ट्र को व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सहयोग और सहिष्णुता आदि लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास को सुनिश्चित करना है। समाज विज्ञान शिक्षण के माध्यम से शिक्षक सहज रूप से यथोचित स्थलों पर लोकतांत्रिक मूल्यों को उभारने की कोशिश कर सकता हैं जिसका सम्पादन निम्नरूपों में हो सकता है—

Hkxksy f'k{k.k के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अन्योन्याश्रय सम्बन्धों का ज्ञान कराकर हम विद्यार्थियों को विश्वबन्धुत्व, विश्व नागरिकता की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और विद्यार्थियों में विध्वंसकारी मानव प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करने का भाव जाग्रत कर सकते हैं।[24] उनमें प्रकृति तथा वातावरण में सन्तुलन कायम रखने की आवश्यकता का अहसास उत्पन्न किया जा सकता है। ठंडे और गर्म देशों के निवासियों के प्रति सहिष्णुता उत्पन्न की जा सकती है। विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के बारे में शिक्षण करते समय वहाँ के सद्‌गुणों, आदर्शो का परिचय दिया जा सकता हैं।

वन्य प्राणियों, जीवों के बारे में बताते समय उनकी रक्षा के सन्दर्भ में अहिंसा के मूल्य विकसित किये जा सकते हैं। पृथ्वी एक है, इस पर रहने वाले किसी भी देश के व्यक्ति हो, सभी एक है और इनमें परस्पर प्रेम होना चाहिए। इस तरह विद्यार्थियों में मानव प्रेम और एकता के मूल्य का विकास किया जा सकता है। विभिन्न प्रकरणों का शिक्षण करते समय भूगोल के शिक्षक द्वारा निष्पक्ष व तर्कपूर्ण विवेचना करके वास्तविक सत्य की ओर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित की जा सके।

bfrgkl f'k{k.k के समय शिक्षक मूल्यों के स्वीकरण—अस्वीकरण पर ऐतिहासिक वातावरण एवं पारिस्थितिकी को भी समझा सकते है।[25] इससे विद्यार्थी यह समझ सकेंगे कि कौन से ऐतिहासिक वातावरण में अन्तर

के कारण एक रीति–रिवाज देश के किसी एक भाग में स्वीकार्य माना जाता है, जबकि वही रीति–रिवाज देश के अन्य भागों में अस्वीकार्य किया जाता है, उदाहरणों द्वारा समझाना चाहिए। इतिहास महापुरुषों से परिपूर्ण है। अतः उनकी घटनाओं की शिक्षा द्वारा पौरूष, साहस, महत्त्वाकांक्षा, सत्य, सहानुभूति, कर्तव्यपरायणता जैसे मूल्यों का विकास विद्यार्थियों में कर सकते हैं जिससे प्राचीनतम एवं आधुनिकता में सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

इतिहास की घटनाओं को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए शिक्षक मानव सम्बन्धों पर बल देता है। वह विशिष्ट आक्रमणों तथा युद्धों के बारे में पढ़ाते समय विजय पराजय या सन्धि के लिए उत्तरदायी विभिन्न परिस्थितियों का विश्लेषण कर उनपर चर्चा करवा सकते है।

अशोक द्वारा कलिंग विजय के बारे में बताकर अहिंसा व सहिष्णुता के मूल्य विकसित किये जा सकते हैं। मोहनजोदड़ो तथा हडप्पा नगरों में पुरातन सम्बन्धी उत्खन्न में सिन्धु घाटी की सभ्यता से सम्बन्धित प्रमाण प्रस्तुत कर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है।

jktuhfr'kkL= f'k{k.k के द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, न्याय, समता, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता आदि संवैधानिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं।[26] राजनीतिशास्त्र के सुसंगठित तथा सुनियोजित प्रस्तुतिकरण द्वारा शिक्षक लोकतान्त्रिक मूल्यों की रक्षा एवं उसे पुष्ट करने की भावनाएँ उत्पन्न कर सकते हैं, और देश के नागरिकों के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों पर व्यापक चर्चा की जा सकती है, तथा परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के लिए एक नागरिक आचार–संहिता भी विकसित की जा सकती है।

इसी प्रकार **vFk'kkL= f'k{k.k** में माँग व पूर्ति में समन्वय, कीमत निर्धारण, मुद्रा प्रसार, बजट, हड़ताल व श्रमिक असन्तोष, नियोक्ता व कार्मिक सम्बन्ध आदि प्रकरणों का शिक्षण करते समय अनेक मूल्य विकसित किये जा सकते है – जैसे श्रमिक असन्तोष पर चर्चा करते समय विद्यार्थियों को यह समझाया जा सकता है कि कोई भी नियोक्ता श्रमिकों की प्रत्येक माँग क्यों स्वीकार नहीं कर सकता, वे उत्पादन लागत से अधिक पारिश्रमिक नहीं दे सकते, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान होगा तथा श्रमिकों को भी जीवन निर्वाह के लिए श्रम के अनुरूप ही पर्याप्त पारिश्रमिक मिलना चाहिए।[27] इस प्रकार विद्यार्थी नियोक्ता तथा श्रमिकों दोनों के लिए

विचारशील हो सकते है, और त्याग, सहयोग, श्रम की महत्ता, सहानुभूति न्याय आदि मूल्य विकसित करने की कोशिश कर सकते है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि समाज विज्ञान शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सहयोग और सहिष्णुता जैसे– लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। समाज विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ, मानवीय मूल्यों और नैतिक क्षमता का विकास करना है। ताकि वे उन सामाजिक शक्तियों से सावधान रह सकें जो इन मूल्यों को खतरा पहुँचाती है। हालांकि जिन विषयों को सामाजिक विज्ञान के तहत माना जाता है, (इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, और अर्थशास्त्र) उनकी अपनी विशिष्ट पद्धतियाँ होती है, जो अनेक सीमाएँ बांधने को उचित ठहराती है। पाठ्यचर्या को समर्थ बनाने के लिए कुछ ऐसे विषयों को भी इसमें शामिल किया जाता है, जिससे अन्तर अनुशासनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिले।

परन्तु ऐसा तब सम्भव हो सकेगा जब शिक्षक शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के समय तथ्यों के ज्ञान व अवबोधन पर अत्याधिक बल न देकर तथा पाठ्य–वस्तु में अभिव्यक्त मूल्यों या उसमें निहित मूल्यों के प्रति सजग रहे, ताकि उपरोक्त आधारों पर राजनीतिक ध्रुवीकरण की कम से कम सम्भावना हो। क्योंकि यह विभेदीकरण कहीं न कहीं समसामयिक परिदृश्य में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का कारण बन रहा है। इस प्रकार समाज विज्ञान शिक्षण–अधिगम से परिवार, समाज और राष्ट्र लिए कुछ तथ्यात्मक विचारों के योगदान में सहायक तथा संविधान में उल्लिखित लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा को व्यावहारिक जगत में अनुपालन को सम्भव बनाने का प्रयास किया जा सकता है।

I nHk xUFk I ph

1. ओड, लक्ष्मीलाल के. (2012), 'शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. सं. 238।
2. रूहेला, सत्य पाल (2015), 'शिक्षा के दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय आधार', अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ. सं. 29।
3. जैन, अमीर चन्द्र (1973), 'सामाजिक ज्ञान शिक्षण', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. सं. 1–24.
4. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, पृ. सं. 57.
5. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005), पूर्वोक्त, पृ. सं. 58.

6. सामाजिक विज्ञान का शिक्षण, राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार–पत्र (2007), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, पृ. सं. 2.
7. सामाजिक विज्ञान का शिक्षण, राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार–पत्र (2007), पूर्वोक्त, पृ. सं. 3–4.
8. वही, पृ. सं. 4.
9. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005), पूर्वोक्त, पृ. सं. 58.
10. वही, पृ. सं. 58.
11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार https://ncert.nic.in/pdf/nep/NEP_final_HINDI.pdf देखा– 01/03/2021, पृ. सं. 7.
12. बसु, दुर्गा दास (2015) भारत का संविधान एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस, नई दिल्ली, पृ. सं. 23.
13. सामाजिक विज्ञान का शिक्षण, राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार–पत्र (2007), पूर्वोक्त, पृ. स. 58.
14. चिनरा, बेनुधर (2017) एजुकेशन एण्ड डेमोक्रेसी, ए. पी. एच. पब्लिशिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली, पृ. सं. 4.
15. वही, पृ. सं. 4.
16. चार्ल्स, किरूबा एवं वी. अरूल सेल्वी, (2012) पीस एण्ड वैल्यू एजूकेशन, नीलकमल पब्लिकेशन प्रा. लि., हैदराबाद, 2012, पृ. सं. 44.
17. वही, पृ. सं. 24।
18. चार्ल्स, किरूबा एवं वी. अरूल सेल्वी, पीस (2012) पूर्वोक्त पृ. सं. 256।
19. वही, पृ. सं. 254।
20. बसु, दुर्गा दास (2015) भारत का संविधान एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस, नई दिल्ली, पृ. सं. 23।
21. चार्ल्स, किरूबा एवं वी. अरूल सेल्वी, पीस (2012) पूर्वोक्त पृ. सं. 257।
22. वही, पृ. सं. 254।
23. गार्डिया, आलोक (2018) एजुकेशन एण्ड डेमोक्रेसी, ए. पी. एच. पब्लिशिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली, पृ. सं. 75।
24. जैन, अमीर चन्द्र (1973), 'सामाजिक ज्ञान शिक्षण' पूर्वोक्त, पृ. सं. 52–89.
25. वही, 52–89.
26. वही, 52–89.
27. वही, 52–89.